

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 04/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि. पूर्व में (मेन्टोर इण्डिया लिमिटेड) पता- प्रधान कार्यालय
मेन्टोर हाऊस, गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर।

... प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

- | | |
|---|--|
| 1. सेन्द्रल सरस्वती पब्लिक स्कूल समिति, जादोन जरिये सचिव गिरधारी लाल मेहला पुत्र प्रभाती लाल | निवासीगण:- (1) सेन्द्रल सरस्वती पब्लिक स्कूल समिति, जादोन, तहसील खण्डेला, जिला सीकर। |
| 2. सेन्द्रल सरस्वती पब्लिक स्कूल समिति, जादोन जरिये अध्यक्ष मंजू देवी पत्नी गिरधारी लाल मेहला | (2) प्लॉट नम्बर 54, धाणी डबाला, ग्राम खेड़ी चारणान, तहसील खण्डेला जिला सीकर। |
| 3. सेन्द्रल सरस्वती पब्लिक स्कूल समिति, जादोन जरिये कोषाध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद पुत्र गणेश राम | |
| 4. कालु राम पुत्र भगवान सहाय | निवासीगण:- प्लॉट नम्बर 41, रैगरों का मोहल्ला, मेहरोली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर। |
| 5. मुरली देवी पत्नी कालु राम | |


... अप्रार्थी (ऋणी/सहऋणी/गारन्टर)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय


निर्णय दिनांक: 11 फरवरी, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री सूरज शर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सेन्द्रल सरस्वती पब्लिक स्कूल समिति, जादोन जरिये सचिव गिरधारी लाल मेहला, अध्यक्ष मंजू देवी, कोषाध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद, कालु राम, मुरली देवी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अचल सम्पति कृषि भूमि का शैक्षणिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि खसरा नम्बर 828/3, रकबा 0.1250 है. (1250 वर्गमीटर), जादोन तहसील


जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित है जो सेन्द्रल सरस्वती पब्लिक स्कूल समिति, जादोन के नाम पर है, को बंधक रखकर 6,00,000/-रुपये (अक्षरे रुपये छः लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.12.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 18.12.2017 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण सेन्द्रल सरस्वती पब्लिक स्कूल समिति, जादोन जरिये सचिव गिरधारी लाल मेहला, अध्यक्ष मंजू देवी, कोषाध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद, कालु राम, मुरली देवी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक अचल सम्पत्ति कृषि भूमि का शैक्षणिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि खसरा नम्बर 828/3, रकबा 0.1250 है. (1250 वर्गमीटर), जादोन तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित है जो सेन्द्रल सरस्वती पब्लिक स्कूल समिति, जादोन के नाम पर है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक: 11 फरवरी, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर